



सां/No. : 5-1(302)/2015-PD

दिनांक/Dated: 26.12.2019

27

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. SI. No.	कार्यालय ज्ञापन सं/ . Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 28.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4-21/2017-आई.सी./ई.।।।ए Govt. of India, MoP, PG&P, DoPT O.M. No. 4-21/2017-IC/E.IIIA dated 28.11.2019	केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तारीख के संबंध में स्पष्टीकरण। Date of next increment under Rule 10 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 – Clarification regarding.

भवदीय/Yours faithfully

(बी.के.सिंह/B.K. Singh)

उप सचिव/Deputy Secretary

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं. 4-21/2017-आईसी/ई-111ए

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
28 नवंबर, 2019

कार्यालय जापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तारीख के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के आधार पर 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई से वार्षिक वेतनवृद्धि के आहरण के लिए कर्मचारियों की पात्रता का प्रावधान है। इसके उप नियम (2) में प्रावधान है कि 2 जनवरी और 1 जुलाई (दोनों सम्मिलित) के बीच की अवधि में नियुक्त अथवा पदोन्नत अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम (एमएसीपीएस) के तहत उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मचारी को वेतनवृद्धि 1 जनवरी को प्रदान की जाएगी तथा 2 जुलाई और 1 जनवरी (दोनों सम्मिलित) के बीच की अवधि में नियुक्त अथवा पदोन्नत अथवा एमएसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मचारी को वेतनवृद्धि 1 जुलाई को प्रदान की जाएगी।

2. वित्त मंत्रालय में, 1 जुलाई, 2016 को पदोन्नत कर्मचारियों द्वारा अगली वेतनवृद्धि के आहरण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए अनेक पत्र प्राप्त हुए थे। इस मुद्दे पर विचार करने के पश्चात्, व्यय विभाग ने दिनांक 31.07.2018 के अपने समसंख्यक कार्यालय जापन के तहत स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसे 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई को पदोन्नत किया जाता है अथवा एमएसीपी स्कीम के तहत उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया जाता है, जहां केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 13 के अनुसार उस पद, जिस पर पदोन्नति दी जाती है, के लिए लागू लेवल में प्रथम वेतनवृद्धि अगली 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी, जो भी मामला हो, को देय होगी, बशर्ते 6 माह की अर्हक सेवा अवधि पूरी कर ली गई हो। तत्पश्चात्, अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष पूरा हो जाने के बाद ही देय होगी।

3. 31 जुलाई, 2018 का कार्यालय जापन जारी किए जाने के परिणामस्वरूप, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 के नियम 10, मूल नियमों

वी. क. मिश्र

के नियम 22(1)(क)(1) के प्रावधानों और वेतन वृद्धि के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग के दिनांक 31.07.2018 के कार्यालय जापन की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। वह मुद्दे जिन पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने स्पष्टीकरण मांगा है और उन पर लिए गए निर्णय आगामी पैराओं में दिए गए हैं।

मुद्दा सं. 1: 1 जुलाई को पदोन्नति और दो वेतनवृद्धियों के साथ वेतन के निर्धारण के पश्चात् क्या अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी होगी अथवा 1 जुलाई।

4. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि के दौरान, जब वार्षिक वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई को एक समान स्वीकार्य थी, 1 जुलाई को संशोधित वेतन संरचना में 6 माह अथवा उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने के पात्र होते थे। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि में, वेतनवृद्धि की दो तारीखें हैं अर्थात् 1 जनवरी और 1 जुलाई। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की भावना को देखते हुए 31 जुलाई, 2018 का कार्यालय जापन जारी किया गया था जिसमें 1 जनवरी/ 1 जुलाई को पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारी जिन्होंने 6 माह की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, के संबंध में 1 जुलाई/1 जनवरी को अगली वेतनवृद्धि मिलने का प्रावधान था।

5. 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को होने वाली पदोन्नति /वित्तीय उन्नयन के मामलों के संबंध में 31 जुलाई, 2018 के कार्यालय जापन में वर्णित निर्देश स्वतः स्पष्ट हैं। इन निर्देशों में यह प्रावधान है कि 1 जुलाई और 1 जनवरी को पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन के मामले में और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 के नियम 13 के अनुसार, पद जिस पर पदोन्नति दी जाती है, के लिए लागू लेवल में वेतन निर्धारण के मामले में, उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में पहली वेतनवृद्धि अगली 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई, जो भी मामला हो, को देय होगी बशर्ते छह माह की अर्हक सेवा अवधि पूरी की गई हो।

मुद्दा सं. 2: किसी कर्मचारी की वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख से भिन्न किसी अन्य तारीख को नियमित पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन के मामले में अगली वेतनवृद्धि और वेतन-निर्धारण के विकल्प का प्रयोग, मूल नियम 22(1)(क)(1) के तहत किया जाता है।

6. कर्मचारियों के लिए मूल नियम 22(1)(क)(1) के तहत वेतन-निर्धारण के विकल्प के प्रयोग का अवसर पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन के मामले में उपलब्ध है। अतः केन्द्र सरकार का कोई कर्मचारी जो निचले ग्रेड में उसकी वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख से भिन्न किसी अन्य तारीख को नियमित आधार पर पदोन्नत/वित्तीय उन्नयन प्राप्त करता है, और जो निचले ग्रेड में वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की देयता की तारीख से वेतन-निर्धारण के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.07.2017 के कार्यालय जापन संख्या 13/02/2017-स्था.(वेतन-1) के साथ पठित मूल नियम 22(1)(क)(1) के तहत

Dr. J. Singh

विकल्प का चयन करता है, उसे व्यय विभाग के दिनांक 31.07.2018 के कार्यालय जापन के अनुसार 1 जुलाई/ 1 जनवरी (निचले ग्रेड में वेतनवृद्धि की तारीख) को ऐसे निर्धारण के बाद 6 माह की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् 1 जनवरी/1 जुलाई, जो भी मामला हो, को पदोन्नत ग्रेड में पहली वेतनवृद्धि दी जाए। तथापि, उसके बाद की अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष पूरा होने के बाद ही दी जाएगी।

7. चूंकि यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, अतः यह भी अनुमोदित किया गया है कि ऐसे कर्मचारी, जिन्हें 01.01.2016 को या इसके बाद नियमित पदोन्नति दी गई है अथवा वित्तीय उन्नयन दिया गया है और जो मूल नियम 22(1)(क)(1) के तहत वेतन-निर्धारण का विकल्प चुनना/ पुनः चुनना चाहते हैं, उन्हें इसके तहत विकल्प चुनने या पुनः चुनने का अवसर दिया जाएगा। ऐसा विकल्प इस का.जा. के जारी होने के एक माह के अंदर चुनना होगा।

8. ये निर्देश 01.01.2016 से लागू होंगे।

9. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के पश्चात् जारी किए जाते हैं।

वी.के. मथन

(बी.के. मथन)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. सभी मंत्रालय/ विभाग (मानक सूची के अनुसार)।
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।
3. एनआईसी, व्यय विभाग को इस कार्यालय जापन को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

11307/1307/1307

No. 4-21/2017-IC/E.IIIA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi-110001


Dated the 28th November, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Date of next increment under Rule 10 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016- Clarifications-regarding.

The undersigned is directed to invite the attention to Rule 10 of the CCS (RP) Rules, 2016 which provides for the entitlement of employees for drawal of annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of appointment, promotion or grant of financial upgradation. The Sub-Rule (2) thereof provides that increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation including up-gradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial up-gradation under MACPS during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

2. A number of references were received in the Ministry of Finance seeking clarifications regarding drawal of next increment by the employees promoted on 1st July, 2016. On consideration of the matter, Department of Expenditure vide it's Office Memorandum of even number dated 31.07.2018 has clarified that in case an employee is promoted or granted financial up-gradation including up-gradation under the MACP scheme on 1st January or 1st July, where the pay is fixed in the Level applicable to the post on which promotion is made in accordance with the Rule 13 of the CCS (RP) Rules, 2016, the first increment in the Level applicable to the post on which promotion is made shall accrue on the following 1st July or 1st January, as the case may be, provided a period of 6 months qualifying service is strictly fulfilled. The next increment thereafter shall, however, accrue only after completion of one year.



3. Consequent upon issue of Office Memorandum dated 31.07.2018 different Ministries/ Departments have sought clarification on applicability of DOE's O.M dated 31.07.2018 keeping in view the provisions of Rule 10 of CCS (RP) Rules 2016 , Rule 22(D)(a)(1) of Fundamental Rules & provisions of Stepping up of pay. The issues on which various Ministries/Departments have sought clarifications and decisions thereon are brought in the succeeding paragraphs.

Issue No. 1: Whether after promotion on 1st July and fixation of pay with two increments the date of next increment will be 1st January or 1st July

4. During the regime of 6th CPC, when the annual increment was admissible uniformly on 1st July every year, employees completing 6 months and above in the revised pay structure as on 1st July were eligible for grant of increment. In the 7th CPC regime there are two dates of increments 1st January and 1st July. Keeping in view the spirit of 6th CPC, O.M dated 31.07.2018 was issued providing for accrual of next increment on 1st July/1st January in respect of employees getting promotion on 1st January/1st July provided 6 months qualifying service is strictly fulfilled.

5. The instructions contained in the O.M. dated 31.07.2018 are self-explanatory in respect of the cases of promotion/financial up-gradation falling on 1st July or 1st January. These instructions provide that in case of promotion/financial up-gradation on 1st July and 1st January and getting fixation of pay in the Level applicable to the post in which promotion is made in accordance with Rule 13 of the CCS (RP) Rules 2016, the first increment in the level in which promotion is made shall accrue on the following 1st January or 1st July, as the case may be, provided a period of 6 months' qualifying service is fulfilled.

Issue No.2: Accrual of next increment in case of regular promotion/financial up-gradation of an employee on any date other than the date of annual increment and option for pay fixation is exercised under FR 22(D)(a)(1).

6. The opportunity to exercise of option for pay fixation under FR 22(D)(a)(1) is available to employees in case of promotion/financial up-gradation. Therefore, the Central Government Employee promoted on regular basis/granted financial up-gradation on any date other than the date of his/her annual increment in lower grade and exercises the option under FR 22(D)(a)(1) read with Department of Personnel & Training's OM No.13/02/2017-Estt.(Pay-I) dated 27.07.2017 for fixation

R Man


of pay from the date of accrual of next increment in the scale of pay in lower grade, he may be allowed the 1st increment in promotional grade on 1st January/ 1st July as the case may be after completion of 6 months' qualifying service after such fixation on 1st July/1st January (i.e., the date of increment in lower grade) on the analogy of Department of Expenditure's OM dated 31.07.2018. The next increment, thereafter, shall however, accrue only after completion of one year.

7. Since there is material change, it has also been approved that the employees who have been regularly promoted or granted financial up-gradation on or after 01.01.2016 and desire to exercise/re-exercise option for pay fixation under FR22(I)(a)(1) shall be given an opportunity to exercise or re-exercise of the option there under. Such an option shall be exercised within one month of issue of this O.M.

8. These instructions will be applicable with effect from 01.01.2016.

9. In so far as persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

10. Hindi version of these orders is attached.



(B.K.Manthan)

Deputy Secretary to the Government of India

To

1. All Ministries/Departments as per standard list.
2. C&AG, UPSC etc. as per standard endorsement list
2. NIC, D/o Expenditure-with a request to upload the OM on website of the Department.